

कार्यालय आयकर आयुक्त - I, नागपुर
 Office of the Commissioner of Income-Tax - I NAGPUR
 'आयकर भवन' टेलनखेडी रोड, रिंगल लाइन, नागपुर - 440 001
 'Aayakar Bhavan' Telankhedi Road, Civil Lines, NAGPUR - 440 001
 दूरभाष नं (0712) 2532301/ 2532302/ 2532303

फॉर्म सं: सीआईटी-I/12-A/IV-70/2006-07

नागपुर, दिनांक 27/12/2006

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / द्रस्ती

मिशन
 162, 713 म 8132,
 2011HMTT, नागपुर

दिनांक 14-09-1996 की द्रष्टव्य डीड / मैमोरेण्डरम ऑफ एसोसिएशन द्वारा रक्षाप्रित द्वारा संस्था ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए (ए) के अधीन निर्धारित फार्म में पंजीयन हेतु दिनांक 06-07-2006 को आवेदन फाईल किया है, जो राग्याचार्य में किया गया है / जो निर्धारित तारीख के 08 तर्फ 07 मर्टिने 15 दिन के बाद प्राइवेट मिला गया है। चूंकि निर्धारित फार्म को समयावधि में फाईल नहीं करने का कारण पर्याप्त / अप्रयोग पाया गया है। अतः हस संस्था को धारा 12 ए (ए) के अधीन दिनांक 1-11-2006 से धार्मिक / पर्याप्ताय के रूप में पंजीयन मंजूर किया गया है।

2. धारा 12 ए (ए) के अधीन इस कार्यालय में रखे गये आवेदनों के रजिस्टरर ने दिनांक 47/12/2006-07 आवेदन को दर्ज कर लिया गया है।

Sd/-
 (A. K. GARG)
 Commissioner of Income Tax-I,
 Nagpur.



मिशन प्रेषित:-

1. आवेदक उनके दिनांक 6-7-2006 के फार्म संख्या 10 ने लिये गये आवेदन के बाबत में कृपया यह नोट कर लें कि दानकर्ता इस पावती के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन कटौतियों के लिये हकदार नहीं रहेगा। गंतव्यता द्रष्टव्य/संस्था को इस प्रयोजन के लिये इस कार्यालय से एक अलग छूट प्रगाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

2. अपर आयकर आयुक्त, रैंज - रायुक्त आयकर आयुक्त, रैंज-I, आयकर आयुक्त / सहायक आयुक्त/ आयकर अधिकारी , कट्टि-(4) को निम्नलिखित संलग्नताओं के साथ -

- (1) फार्म संख्या 10-ए दिनांक 06-07-2006
- (2) द्रष्टव्य / संस्था के सूचन / स्थापना संबंधी / दस्तावेज की प्रतीक्षिति।
- (3) दिनांक ----- को समाप्त तर्फ के लिये आग-लाग, लाग-लागि आता, पानि व भुगतान लेखा, वैलेन्स शीट। द्रष्टव्य/संस्था का नाम संलग्न रजिस्टरर में दीर्घ कर लिया जाये।

(M.G.SHUKLA)
 आयकर अधिकारी (मुख्यालय)
 कृपया: आयकर आयुक्त - I
 नागपुर